Phone & Fax:– 01352530431, 01352531415

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 82 / नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.) / 2018 दिनांक 23 .01.2019

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
टिहरी / देहरादून / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा सेतुओं के पुनर्निर्माण / तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अन्तर्गत 83 नं0 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

सन्दर्भः– शासनादेश संख्या 1763 / XVIII–(2) / 18–12(4) / 2013टी0सी0 दिनांक 03.07.2018।

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.07.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गो / सेतुओं के पुननिर्माण एवं बन्द मार्गों को तात्कालिकता के आधार पर यातायात हेतु खोले जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹ 16.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सापेक्ष राज्य आपदा मोचन निधि के कार्यों हेतु निर्धारित मानको के अन्तर्गत गठित निम्नलिखित 83 नं0 आगणनों पर ₹ 468.17 लाख (₹ चार करोड़ अड़सठ लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(i) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(ii) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों / कार्यों में किया जायेगा, जोकि एस0डी0आर0एफ0 के दिशा–निर्देशों में अनुमन्य है।

(iii) स्वीकृत कार्यों में से 5 प्रतिशत कार्यों का सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जॉच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायगी।

(iv) इस योजना में स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय, कि चयनित कार्यों हेतु अन्य विभागीय योजनाओं अथवा अन्य विभागों के बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। यदि धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि एस0डी0आर0एफ0 मद में प्राप्त आवंटन से व्यय की जायेगी।

(v) स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रवृत्ति के पुनर्निर्माण / तात्कालिक कार्यों हेतु उपयोग की जायेगी। नवनिर्माण के कार्यों में विषयक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मेनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेंट रूल्स–2018 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 02 पर

(vii) स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु है, अतः स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक अनिवार्य रूप से करते हुए कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।

(viii) स्वीकृति प्रत्येक किमी. के लिए एस.डी.आर.एफ. हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जारी की जा रही है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी किमी. में मानक दर से अधिक व्यय न किये जाय।

(ix) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05–राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–101–आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ–02–आपदा राहत निधि से व्यय–00–42–अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग के क्षतिग्रस्त किमी0	तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	उत्तरकाशी	प्रान्तीय खण्ड भटवाड़ी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम धराली तडी नामें तोक पर सम्पर्क मार्ग में मलवा सफाई व दीवार का मरम्मत कार्य।	As Per Log Book	1.53
2	उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड पुरोला	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत वर्षाकाल में जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला के त्यूनी–पुरोला–नौगांव (राज्य मार्ग सं0–17) एवं पुरोला क्षेत्र के अन्य सम्पर्क मार्गो के बन्द होने पर मोटर मार्गो को जे.सी.बी. मशीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	5.81
3	उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड पुरोला	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत वर्षाकाल में आराकोट–चिंवा–बालचा मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग सं. यू0के0 06) एवं आराकोट क्षेत्र के अन्य सम्पर्क मार्गो के बन्द होने पर मार्ग खोलने हेतु जे.सी.बी. मशीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य।	As Per Log Book	8.39
4	उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड पुरोला	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत भदरासू–रमालगांव मोटर मार्ग के किमी0 01 व 02 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	2.00	3.75
5	उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड पुरोला	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के देवती–ठडियार मोटर मार्ग के किमी0 01 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	1.00	1.83
6	उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड पुरोला	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत त्यूनी–पुरोला–नौगांव (राज्य मार्ग सं0– 17) मोटर मार्ग के किमी0 35, 37, 38, 44 एवं 45 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	5.00	7.29
7	उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड पुरोला	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत त्यूनी–पुरोला–नौगांव (राज्य मार्ग सं0–17) मोटर मार्ग के किमी0 21,22, 23, 24 एवं 25 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	5.00	7.77

क्रमशः पृष्ठ 03 पर